



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/04/7/2017/एफ.सी. / 150

दिनांक: 17-7-17

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Water/18259/2016

विषय: Diversion of 19.7432 ha. of forest land for 400 KV S/C extending form 765/400 KV GSS to 400/220 GSS PGCILs Kota in Bundi and Kota Districts in favour of RRVPNL wihotut felling of trees- reg.

सन्दर्भ- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-
एफ140/2016/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/2138, दिनांक- 03.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 08.06.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 08.06.2017 द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना में से बिन्दू संख्या-2 में उल्लिखित प्रकरण ऑनलाईन प्रकरण संख्या- FP/RAJ/TRANS/4124/2013 In March, 2014 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इससे संबंधित सूचना न प्राप्त होने की दशा में विषयांकित प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं विधिवत् स्वीकृति के लिए लंबित है।
2. बिन्दु संख्या-5 के अनुसार संशोधित भूसंदर्भित मानचित्र नहीं प्रस्तुत किया गया है।
3. बिन्दु संख्या-8 के अनुसार वन भूमि की आवश्यकता घटक अनुसार (component wise) नहीं प्रस्तुत की गयी है।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
2. उप वन संरक्षक, बूंदी/कोटा, राजस्थान ।
3. Ex-Engineer, T&C, RRVPNL, Near Thermal Circle, Sakatpura, Kota, Rajasthan.
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित ।
5. आदेश पत्रावली ।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)